रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 1972/भाद्र 21, 1894

No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 1972/BHADRA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 12th September 1972

No. DRAWBACK/PN-75/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971—(Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971.

For Sub-Serial Nos. 2504, 2602, 2603, 2604 and 2605 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
2504	Cotton Yarn:-	
	(i) if the yearn is of above 60s counts.	Rs.22.58 (Rupees twenty two and paise fifty eight only) per quintal.
	(ii) if the yearn is of above 40s counts but not above 60s counts.	Rs.8.11 (Rupees eight and paise eleven only) per quintal.
2602	Processed cotton fabrics in which the average count of yarn is above 60s,	Rs. 22.58 (Rupees twenty two and paise fifty eight only) per quintal.
2603	Unprocessed cotton fabrics in which the average count of yarn is above 60s.	Rs.21.73 (Rupees twenty one and paise seventy three only) per quintal.
2604	Processed cotton fabrics in which the average count of yarn is above 40s but not above 60s.	Rs.8.11 (Rupees eight and paise eleven only) per quintal.
2605	Unprocessed cotton fabrics in which the average count of yarn is above 40s but not above 60s.	Rs.7.81 (Rupees seven and paise eighty one only) per quintal.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 12 सितम्बर 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-75/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/पी०एन०, 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2504, 2602, 2603, 2604 तथा 2605 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप-क्र० सं०	माल विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2504	सूती धागा :—	
	(i) यदि धागा 60 एस काउन्ट से अधिक का है ।	22.58 रुपए (केवल बाईस रुपए तथा अठावन पैसे) प्रति किंवटल ।
	(ii) यदि धागा 40 एस काउन्ट से ऊपर किन्तु 60 एस काउन्ट से ऊपर का नहीं है ।	8.11 रुपए (केवल आठ रुपए तथा ग्यारह पैसे) प्रति किंवटल ।
2602.	प्रक्रियागत सूती वस्त्र, जिनमें धागे का औसत काउन्ट 60 एस से ऊपर का है ।	22.58 रुपए (केवल बाईस रुपए तथा अठावन पैसे) प्रति किंवटल ।
2603.	अप्रक्रियागत सूती वस्त्र, जिनमें धागे का औसत काउन्ट 60 एस से ऊपर का है ।	21.73 रुपए (केवल इक्कीस रुपए तथा तिहत्तर पैसे) प्रति किंवटल ।
2604.	अप्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें धागे का औसत काउन्ट 45 एस से ऊपर का है किन्तु 60 एस से ऊपर का नहीं है ।	8.11 रुपए (केवल आठ रुपए तथा ग्यारह पैसे) प्रति किंवटल ।
2605.	अप्रक्रियागत वस्त्र, जिनमें धागे का औसत काउन्ट 40 एस से ऊपर का है किन्तु 60 एस से ऊपर का नहीं है ।	7.81 रुपए (केवल सात रुपए तथा इक्यासी पैसे) प्रति किंवटल ।

No. DRAWBACK/PN-76/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971:

In column 4 of the Sub-clause (i), (ii), (iii) and (v) of Sub-Serial No. 1003, the words 'of the products' may be added after the words 'per tonne'.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-76/72.— सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधि-सूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्-द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 1003 के उप-खंड (i), (ii), (iii) तथा (v) के स्तम्भ 4 में दिए गए शब्दों से पूर्व 'उत्पादों का' शब्द जोड़ दिए जायें ।

म० पंचप्पा,
निदेशक (प्रतिअदायगी) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972